

2018/00010

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 25/2018

प्रार्थी

एयू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड  
जरिये प्राधिकृत अधिकारी  
कार्यालय 19-ए धुलेश्वर गार्डन,  
अजमेर रोड जयपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. नरपतराज पुत्र चम्पालाल  
बोराणा निवासी 74, पुरोहितों  
का वास वार्ड सं.08 आसोतरा  
तहसील, पचपदरा  
2. श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि  
नरपतराज बोराणा ग्राम  
आसोतरा तहसील पचपदरा  
3. चन्दनसिंह पुत्र जोयताराम  
राजपुरोहित निवासी 6  
पुरोहितों का वास आसोतरा  
तहसील, पचपदरा



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (The securitisation and Reconstruction of Financial Assts and Enforcement of Security Interest Act 2002)

उपस्थित:- श्री चन्द्रसिंह रावौड़ अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांक 18.07.2018

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (The securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002) के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर कर, प्रार्थी की बहस को सुना गया।
2. प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को प्रार्थी बैंक ने दिनांक 31.10.2011 को रूपये 2,50,000/ का ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी संख्या 03 ने उक्त ऋण के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की बहसियत जमानती जमानत दी थी। उक्त ऋण प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक के पक्ष में ऋणी एवं जमानती द्वारा ऋण इकरारनामा आदि दस्तावेज अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा इस ऋण के लिये बतौर अपने स्वामित्व की सम्पति मिसल संख्या 84/2010-11 बुक नं.15

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पट्टा संख्या 84 ग्राम पंचायत आसोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 95.95 वर्ग गज है, प्रार्थी बैंक के पास जरिये **Mortgage by deposit of Title deed** के बंधक रखा है, जो विलेखानुसार निम्न आस पड़ोस के मध्य स्थित है: उत्तर में सार्वजनिक रास्ता, दक्षिण में भंवरलाल की सम्पत्ति, पूर्व में चम्पालाल का मकान एवं पश्चिम में बीरबल, मोहन, भंवरलाल की सम्पत्ति है। ऋण प्राप्त करने के पश्चात् ऋणी व जमानती ने ऋण इकरारनामा की शर्तों के अनुरूप ऋण खाते का संचालन नहीं किया है। ऋणी व जमानती ऋण इकरारनामा की शर्तों की पालना में चूककर्ता होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी व जमानती के उक्त ऋण खाते को गैर निष्पादित आस्ति में वर्गीकृत कर समस्त देय ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस देकर बकाया राशि मय ब्याज हेतु नोटिस दिया गया। नोटिस दिये जाने के पश्चात् भी राशि जमा नहीं कराई गई है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा इस ऋण के लिये बतौर प्रतिभूति स्वरूप रहन रखी गयी अपने स्वामित्व की सम्पत्ति जो उपर वर्णित है, का कब्जा एवं इससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को भी प्रार्थी बैंक को दिलाया जावे।


3. हमने अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को दिनांक 31.10.2011 को ऋण सुविधा के रूप के उपरोक्तानु सार ऋण दिया। उक्त ऋण के बदले इकरारनामा व उससे सम्बन्धित दस्तावेजात तैयार कर अपने हस्ताक्षर के प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये। अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण को बैंक के नियमानुसार नहीं चुकाया गया। इस पर बैंक ने खाते को दिनांक 30.04.2017 को एन.पी.ए घोषित किया व अप्रार्थीगण/ऋणी के ऋणी खाते में रुपये 14,03,478/- दिनांक 07.10.2017 तक ब्याज सहित बकाया होना बताया। जमानती एवं ऋणी द्वारा इकरारनामा की शर्तों की पालना में चूककर्ता होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी व जमानती के उक्त ऋण खाते को गैर निष्पादित आस्ति में वर्गीकृत कर समस्त देय ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 07.10.2017 को बकाया राशि मय ब्याज हेतु नोटिस दिया गया। नोटिस प्राप्ति पश्चात् भी अप्रार्थीगण ने बैंक को ऋण राशि का भुगतान नहीं किया। **The securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002** की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

4. अतः उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गई उक्त वर्णित सम्पति को अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, प्रार्थी बैंक को संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर एवं प्रार्थी बैंक को आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित की जाए।

आदेश आज दिनांक 18.07.2018 को सुनाया गया।



  
(शिवप्रसाद एम. नकाते)  
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर